कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश होशंगाबाद (म0प्र0)

परिपत्र

क्रमांक 607 / दो–1–8 / 19 होशंगाबाद, दिनांक 08.06.2020

प्रति,

(1) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण,

(2) समस्त अनुभाग, प्रभारी अधिकारीगण
होशंगाबाद / इटारसी / पिपरिया / सोहागपुर / सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद(म.प्र.)

(3) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश, होशंगाबाद

विषयः न्यायालय के साक्ष्य लेखकों एवं अटैच सहा.ग्रेड–तीन तथा आवश्यकता होने पर शीघ्रलेखकों से अभिलेखागार में संचित सन् 2000 तक के निराकृत अभिलेखों के निर्णय एवं आदेश सी.आई.एस. साफ्टवेयर में दर्ज कराने के संबंध में।

संदर्भः इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांक 252 / दो–1–8 / 19 होशंगाबाद, दिनांक 23.05.2020

––00––

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ अनुसार मेरे ध्यान में लाया गया है कि, एन.जे.डी.जी. (नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड) पोर्टल पर इस न्यायिक जिला स्थापना के वर्ष 2012 से पूर्व के कुछ निराकृत प्रकरणों के निर्णय / आदेश सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में अपलोड प्रायः दर्शित नहीं हो रहे हैं।

जिला मुख्यालय, होशंगाबाद के मालखाना सॉफ्टवेयर में मुद्देमाल वर्तमान वर्ष से पहले की 2012 तक के दर्ज हो चुके हैं, किंतु इससे पहले के वर्ष 2011 प्रारंभ करते ही सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में दर्शित न होने के कारण संबंधित मुद्देमाल मालखाना सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं हो पा रहा है, इसके लिए पहले सी.आई.एस. में प्रकरण का निराकरण निर्णय व आदेश अपलोड करना होता है तदुपरांत ही मालखाना सॉफ्टवेयर में मुद्देमाल दर्ज करना संभव होता है।

निकट भविष्य में निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों के समस्त अभिलेखों की स्केनिंग कराई जाना है, जिसके लिए प्राधिकृत एजेंसी को स्केनिंग के पूर्व समस्त निराकृत अभिलेखों के निर्णय एवं आदेश सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में अपलोड चाहिए अन्यथा स्केनिंग संभव नहीं होगी।

वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण के लॉकडाउन व धीरे–धीरे किये जा रहे अनलॉकडाउन अवधि में एच.जे.एस. न्यायालय पूर्वान्ह में तथा एल.जे.एस. न्यायालय अपरान्ह में केवल अत्यावश्यक न्यायिक कार्य जैसे जमानत आवेदन पत्र, स्टे प्रकरण, सिविल अपील / विविध सिविल अपील / आपराधिक पुनरीक्षण आदि की ऑनलाईन वीडियो कान्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान शासन व उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की गाईड लाईन अनुसार केवल 30 से 50 प्रतिशत स्टाफ को बुलाकर सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखते हुए कार्य संपन्न कराया जा रहा है, इस अवधि में न्यायालय के प्रकरणों में साक्षी आहूत नहीं किये जा रहे हैं, इसलिए जिले में कार्यरत सभी न्यायालयों के साक्ष्य लेखकों की ड्यूटी इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 522 / दो–1–8 / 19 होशंगाबाद, दिनांक 23.05.2020 के द्वारा वर्ष 2015 से वर्तमान अवधि तक के निराकृत प्रकरणों के निर्णय व आदेश सी.आई.एस. में अपलोड कराने के लिए ड्यूटी लगाई जाकर संपन्न कराया गया है। निर्देशानुसार उक्त कार्य को निरंतर कराते हुए वर्ष 2000 से निराकृत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों के निर्णय व आदेश सी. आई.एस. सॉफ्टवेयर में दर्ज कराया जाना अपेक्षित है।

अतः जिले में कार्यरत समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके न्यायालय में कार्यरत साक्ष्य लेखक एवं आसंजित सहा.ग्रेड–तीन और यदि आवश्यक हो तो शीघ्रलेखक की भी ड्यूटी लगाकर प्रभारी अधिकारी अभिलेखागार, होशंगाबाद / इटारसी / सोहागपुर / पिपरिया से निराकृत प्रकरण प्राप्त कर अपने कार्यभार के कम्प्यूटर पर निर्णय व आदेश सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में दर्ज कराने को सुनिश्चित कराया जावे।

उपरोक्त के अलावा तहसील सिवनीमालवा में अभिलेखागार न होने के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, होशंगाबाद के न्यायालय में अटैच श्री सुरेश यादव, सहा.ग्रेड–तीन को निर्देशित कर अभिलेखागार, होशंगाबाद से तहसील सिवनीमालवा स्थित सिवल न्यायालय के निराकृत सिविल व आपराधिक प्रकरण प्रतिदिन प्राप्त कर उनके निर्णय व आदेश स्केन कर सी.आई.एस. सॉफ्टवेयर में दर्ज कराया जावे।

(चन्देश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)

पृष्ठांकन कमांक 608 / दो–1–3 / 19 होशंगाबाद, दिनांक 08.06.2020

आदेशानुसार प्रतिलिपि,

(1) सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर सर्वर रूम, होशंगाबाद की ओर समस्त तहसीलों पर स्थित कम्प्यूटर सर्वर रूम के आई.टी. असिस्टेंट व प्रभारी अधिकारी, अभिलेखागार एवं समस्त पीठासीन अधिकारियों की ई–मेल आई.डी. तथा जिले की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।

(2) उपप्रशासनिक अधिकारी(प्रथम एवं द्वितीय), होशंगाबाद की ओर साक्ष्य लेखकों की दैनंदिनी की जांच हेतु प्रेषित है।

08/06/20
प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद(म.प्र.)